जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक-16.09.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी
बागपत

जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा0सं0 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-III लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी0सी0-III), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक **दिनांक 16.09.2022** को जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1.	श्री रंजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत	-	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमति ज्योति मालता, खण्ड विकास अधिकारी, बड़ौत/छपरौली	-	सदस्य
3.	श्रीमति सोनिका चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना	-	सदस्य
4.	श्री लोकचन्द आनन्द, खण्ड विकास अधिकारी, बागपत	-	सदस्य
5.	श्री प्रशोल कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बागपत	-	सदस्य
6.	श्री गगन मुकुल, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बागपत	-	सदस्य
7.	श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद	-	सदस्य
8.	श्री जय प्रकाश झा, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, लखनऊ	-	सदस्य
9.	श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	-	सदस्य
10.	श्री अरुण कुमार, मै0 आर0एम0ई0 सोसाईटी, नई दिल्ली	-	सदस्य
11	श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), बागपत	-	सदस्य सचिव

(I) पिछली बैठक की पुष्टि:-

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सामान्य बैठक की पुष्टि की गयी।

(II) डी0पी0आर0 विरचन कार्य:-

श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1197/छिहत्तर-1-2021-25 राम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27 एवं 07 कुल 109 ग्रामों की 108 डी0पी0आर0 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक-07.06.2021, दिनांक-09.07.2021, दिनांक-23.07.2021, दिनांक-31.07.2021, दिनांक-27.08.2021, दिनांक-12.10.2021 एवं दिनांक-22.10.2021 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित प्रेषित किया गया था। वर्तमान में 13 नग पेयजल योजनाओं (17 ग्रामों) की

डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैंटेज तथा नियमानुसार जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैंटेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा योजना की लागत के अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का प्राविधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजना हेतु Per Capita Cost के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है।

बैठक में विचारोपरान्त शासनादेश सं0-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/ 2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2021 के अनुसार रू0 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी है। समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये निम्नानुसार 13 योजना (17 ग्राम) के विस्तृत प्राक्कलनों जिनकी लागत रू0 5 करोड़ से कम है की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बागपत द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति करने का भी निर्णय लिया गया है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 (रु.)
1	फुलैरा	खेकड़ा	2	396	202.677	25.33	228.07	5421
2	सलावतपुर	पिलाना	1	364	184.57	23.07	207.64	4942
3	गौरीपुर हबीबपुर	बागपत	1	218	135.44	16.93	152.37	5418
4	रामनगर	पिलाना	1	244	144.419	18.05	162.469	5178
5	अमीरपुर बालैनी	पिलाना	1	888	342.98	42.87	385.85	4358
6	मीतली	बागपत	1	1384	359.33	44.92	404.30	3027
7	चौपड़ा महेशपुर	बागपत	3	747	325.236	40.65	365.89	5151
8	ख्वाजपुर	बागपत	1	308	160.481	20.06	180.54	5134
9	हजूराबाद गढी	बिनौली	1	288	172.266	21.53	193.80	5077
10	सूरजपुर गेहनवा	बागपत	1	393	191.06	23.88	214.94	5041
11	सुभानपुर	खेकड़ा	1	196	131.928	16.49	148.425	5420
12	अहमदपुर गठीना	बागपत	2	321	172.656	16.22	188.88	5423
13	आनन्दपुर	खेकड़ा	1	315	152.52	19.06	171.58	3072

JJM

(iii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :–

जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे.वी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉरिंग रोड, एस.जी हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कवर एग्रीमेन्ट सं0–188/ईडी/2021–22, दिनांक–18.11.2021 के द्वारा 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके है। आवरण अनुबंध के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्य प्रारम्भ तिथि **18.11.2021** प्रदान की गयी है।

फर्म द्वारा उक्त के अतिरिक्त 36 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये है जिनके सापेक्ष 35 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट सं0–261 /ईडी/2021–22/II, दिनांक–09.02.2022 के द्वारा 35 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके है। आवरण अनुबंध के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्य प्रारम्भ तिथि **09.02.2022** प्रदान की गयी है।

फर्म द्वारा उक्त के अतिरिक्त 04 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये है जिनके सापेक्ष निम्न 04 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट सं0–48/ईडी/फेज–2/2022–23/III, दिनांक–06.08.2022 के द्वारा 04 पेयजल योजनाओं के आवरण अनुबंध राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निष्पादित किये जा चुके हैं। आवरण अनुबंध के अनुसार उक्त योजनाओं के कार्य प्रारम्भ तिथि **06.08.2022** प्रदान की गयी है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत अवशेष 17 नग पेयजल योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार निष्पादित कवर अनुबंधो के अनुसार 74 नग (35+35+4) पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यो को तकनीकी विशिष्टियों तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशो के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये तीव्रता के साथ पूर्ण कर शासन की मंशा के अनुसार योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये।

(iv) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :–

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 91 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 74 पेयजल योजनाओं हेतु आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये है। अद्यतन 60 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 52 नग नलकूप का ही विकास कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 32 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन हैं तथा 46 ग्रामों में 98.15 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग 6536 गृह संयोजन ही दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 29 पेयजल योजनाओं के उच्च जलाशय के डिजाइन/ड्राइंग उपलब्ध कराये गये है, जिसका परीक्षण किया जा चुका है। शेष उच्च जलाशय के संरचनाओं का डिजाइन/ड्राइंग फर्म के स्तर पर लम्बित हैं। उक्त 29 के सापेक्ष 20 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणाधीन हैं। निर्माण कार्यो की उक्त प्रगति सन्तोषजनक नही हैं। कराये गये कार्यों के सापेक्ष रू0–10.334 करोड़ का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है।

भूमि उपलब्धता एवं विवाद के सम्बंध में फर्म के प्रतिनिधि श्री एच0पी0 शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बावली, महावतपुर, सिलाना, रंजरपुर कैथवा, शाहपुर बड़ौली, जोनमाना, ईदरीशपुर ग्राम में विवादित भूमि होने के कारण कार्य बाधित है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित तहसीलदारों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया लेखापाल एवं निर्माण एजेन्सी के प्रतिनिध से संयुक्त जांच कराकर तथा उक्त विवाद का निस्तारण अविलम्ब कर लिया जाये। साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 भेषज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, लखनऊ एवं मै0 आरवी एसोसिएट्स को निर्देश दिये गये पाईप लाईन की गहराई एवं पाईपों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाये तथा प्रतिदिन साईटो के निरीक्षण के फोटोग्राफ्स ग्रुप मे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री शर्मा को मैनपावर बढाने तथा बार चार्ट बनाने एवं तीव्र गति से प्रगति बढाने के निर्देश दिये।

(v) भूमि उपलब्धता–

वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की विरचित की जा रही डी0पी0आर0 हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा सूची सहित अवगत कराया गया कि निम्न 11 ग्रामों में अद्यतन भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। निहित सूची की ग्रामवार समीक्षा की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

जनपद में कुल राजस्व ग्राम	मौके पर गैर आबाद ग्राम	पूर्व से पेयजल योजनाओं से आच्छादित ग्रामों की संख्या (पुर्नगठन हेतु प्रस्तावित योजनाओं को छोड़कर)	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामों मे भूमि उपलब्ध है	उन ग्रामों की संख्या जिनके प्राक्कलन विरचित किये जा चुके है	शेष ग्रामों की संख्या जिनकी डी0पी0आर0 विरचित की जा जानी है	शेष विरचित डी0पी0आर0 के सापेक्ष भूमि की उपलब्धता	भूमि अप्राप्त
305	30	83	191	181	124	67	57	10

उक्त 10 ग्रामों में से 4 (फखरपुर मौहम्मदशाहपुर, हाजीपुर वीरान, नूरपुर खालसा, एवं करीमपुर) ग्राम को नजदीकी ग्राम के साथ ग्राम समूह पेयजल योजना बनाकर आच्छादित किया जायेगा। उक्त ग्रामों में प्राथमिकता पर भूमि की व्यवस्था कराने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बंधित फर्म को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से सम्बंधित लेखपाल एवं उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर उक्त ग्रामों की भूमि का प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों में भूमि के चिन्हांकन में विवाद आ रहे है उनमें सम्बंधित लेखपाल एवं उपजिलाधिकारियों से सम्पर्क कर भूमि का चिन्हांकन प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

(vi) नामित सपोर्ट एजेसियों की गतिविधियां:–

► जनपद बागपत हेतु नामित आई0एस0ए0:–

► 1–मै0 आर0एम0ई0 सामुदाय बाल विकास सोसायटी, नई दिल्ली।

► 2– मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोयडा।

► जनपद बागपत में नामित दोनो आई0एस0ए0 को क्लस्टर का आवंटन निम्नानुसार किया गया है:–

क0सं0	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड का नाम
1	आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, 1/18 गिरठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली–110044।	1–बागपत (44 ग्राम पंचायत)। 2–खेकड़ा (36 ग्राम पंचायत)।
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभकोभवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	1–पिलाना (41 ग्राम पंचायत)। 2–बड़ौत (44 ग्राम पंचायत)। 3–छपरौली (28 ग्राम पंचायत)। 4–बिनौली (53 ग्राम पंचायत)।

श्री दुर्गेश कुमार, आई0एस0ए0 कॉर्डीनेटर, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम चरण के कार्य निम्न विवरण के अनुसार पूर्ण कराये गये है

S NO	Activities	GVT		RME	
		Target	Achievements	Target	Achievements
1	2	3	4	5	6
1	Gram sabha meeting	164	164	80	80
2	Constitution & activation of vwsc	164	164	80	80
3	Vwsc/gpwsc orientation on jjm and role and responsibility of vwsc/gpvwsc	164	164	80	80
4	Opening bank account for capex &opex	164	164	80	80
5	Base line survey	164	164	80	80
6	A Large meetifg	164	164	80	80
7	Survey report for water security plan (wsp)	164	164	80	80
8	One large community meeting with all stake	164	164	80	80

JJM

	holders and members of vwsc/gpwsc				
9	Consent of at least 80% households for pws, community contribution in capex and Opex to pay monthly user charges for o & m and acceptance letter from gram	164	0	80	0
10	Inter personal communication(ipc)with all households	164	164	80	80
11	Monthly woman meeting.	492	492	240	240
12	Monthly men & woman common group meeting	492	492	240	235
13	Monthly prabhatpheri	492	492	240	240
14	Monthly hand wash event	492	492	240	240
15	Finalization of vap	184	184	94	94
16	PRA activity	164	164	80	80
17	Identification of person for skill development as mason,electrician,plumber,pump operator & motor mechanics	820	820	400	400
18	Signing of tri-partite agreement for execution of pws	164	36	80	48

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पृ0सं0 2299/ 19-3 130 दिनांक 17/9/22

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत ।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बड़ौत/खेकड़ा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बड़ौत/खेकड़ा/पिलाना/बिनौली/छपरौली।
18. मै0 एल0सी0 इन्फा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद।
19. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, बस्ती विकास केन्द, एनटीपीसी गेट–1, बीआईडब्लू कॉलोनी, बदरपुर नई दिल्ली–110044,
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभको भवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गोतमबुद्धन गर।
21. मै0 मेग्नुज टैको कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, गेग्नज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ–2260121

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

JJM